बिहार सरकार

समाहरणालय, खगड़िया

ई-मेल :-dm-khagaria.bih@nic.in,
generalsectionkhagaria@gmail.com
वेबसाईट :- https://khagria.nic.in
दूरभाष :- 06244-222135

(जिला शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 5876 एवं 5878, दिनांक 28.09.2020 द्वारा निम्नलिखित मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

क्र0	मृत अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	अनुज्ञप्ति संख्या एवं प्रकार	शस्त्र की स्थिति (पुलिस प्रवितेदन के अनुसार)
1	2	3	4
1	स्व0 चन्द्रदेव दास, पे0–हियालाल दास, साकिन–बोबिल, थाना–बेलदौर, जिला–खगड़िया	बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0–02 / 1968 (बेलदौर थाना)	मुंगेर आर्म्स दुकान में जमा है।
2	स्व0 सकलदेव भगत, पे0–स्व0 अनुपलाल दास, साकिन–पनसलवा, थाना–बेलदौर, जिला–खगड़िया	बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0–05 / 1981 (बेलदौर थाना)	भारत गण हाउस, बेगूसराय में जमा है।

अतः उपरोक्त मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्र अनुज्ञप्ति को आयुध अधिनियम, 2016 की धारा 47 (1) के आलोक में तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। थानाध्यक्ष बेलदौर को आदेश दिया जाता है कि संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित से शस्त्र जमा करने का प्राप्ति रसीद के साथ मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका जिला शस्त्र शाखा में जमा करना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

6/10/20

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक IV-03/2020 625 / जी0, दिनांक 06/10/2020

प्रतिलिपि :– थानाध्यक्ष, बेलदौर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को उनके पत्रांक 5876 एवं 5878, दिनाक 28.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित करते हुए सूचित करना है कि आपके पत्रांक 5874, 5875, 5877 एवं 5884 / गो0, दिनांक 28.09.2020 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 280 / जी0, दिनांक 03.04.2019 द्वारा रद्द की जा चुकी है।

प्रतिलिपि :– आई0टी0प्रबंधक, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

6/10/20

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।